**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2287**

**06 दिसंबर, 2016 को उत्‍तर के लिए**

**भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन**

**2287. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार ने कभी भी भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के संबंध में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

तथापि, सरकार ने विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित पेंशन सहित सेवा से संबंधित मामलों की जांच करने और व्यापक संस्थागत निवारण तंत्र की सलाह देने के लिए जुलाई, 2015 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ।

\*\*\*